न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –23 / 2020 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2020 / 00095

1. तेजसिंह चौहान पुत्र श्री राधावल्लभ सिंह चौहान
2. श्रीमति गीता कवर पत्नि श्री तेजसिंह चौहाननिवासीगण वल्लभबाडी कच्ची बस्ती कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र तेजसिंह
2. नोज सिंह पुत्र तेजसिंह
3. सुनीता कंवर पत्नि बवीर
4. राज कंवर पत्नि मनोज सिंह निवासीगण बल्लभबाडी कच्ची बस्ती कोटा राज0

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा16 दी मन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.01.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

निर्णय

उपस्थितः–
श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, अभि0 अपीलान्ट
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, अभिभाषक रे0 नं0 2 लगायत 4

दिनांकः–20 / 10 / 2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 22.01.2020 को आदेश पारित किया कि–"प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ही सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाला पारिवारिक विवाद प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा अन्तर्गत धारा भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकां का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 17.03.2020 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट वर्तमान में दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आते है, और रेस्पाडेन्ट्स सभी एकराय होकर अपीलान्ट्स को बिना वजह आये दिन क्लेश करते है ओर बिना वजह ही अपीलान्ट्स को गंदी–भद्दी गालियां देकर अपमानित और बेइज्जत करते रहते है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट्स ही उक्त बल्लभबाडी स्थित मकान के एकमात्र मालिक है जिन्हांने अपने जीवनकाल में कठोर परिश्रम से पाई पाई जोडकर उक्त मकान को निर्मित किया अपीलान्ट्स की आर्थक स्थिति को भी अधीनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने थाना अधिकारी गुमानपुरा कोटा शहर से तलब की गयी जांच रिपोर्ट को ही निर्णय का मुख्य आधार बनाया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स ने थानाधिकारी से मिलकर सांठ–गांठ कर यह झूंठी रिपोर्ट अधीनसथ न्यायालय के समक्ष पेश की है । उक्त रिपोर्ट में कहीं भी अपीलान्ट्स से सम्बन्धित आस

पडौस के कोई भी ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट्स द्वारा कभी रेस्पोडेन्ट को परेशान किया गया हो, जबकि यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स आदतन झगडा फसाद करने के आदी है और स्वयं ही अपने रिश्तेदारों को बुलाकर झगडा फसाद कर थाने पर स्वयं ही पहुंचकर अपीलान्ट्स के खिलाफ झूंठे एवं मनगढंत आरोप लगाते है । थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में मकान को बेचने बाबत झूंठे कथन आलेखित किये है जबकि यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स उम्र के इस पडाव पर उक्त मकान को बेचने के पश्चात कहां जीवन यापन करेंगे । अपीलान्ट्स अपने स्वयं के सिर छुपाने की जगह को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहते है । अपीलान्ट्स और रेस्पोडेन्ट के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी सम्पत्ति का विवाद नहीं है ना ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य किसी अन्य न्यायालय मं सम्पत्ति सम्बन्धित कोई दीवानी दावा लम्बित है । जबकि रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडिक कर उक्त मकान पर गलत नियत रखते हुए अपीलान्ट्स को झगडा फसाद कर षडयंत्र पूर्वक घर से बाहर निकालने पर आमादा है । श्रीमति सुनीता कंवर और श्रीमति राजकंवर महिला होने का फायदा उठाकर अपीलान्ट कम 1 को झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी लगातार देती आ रही है । अतः अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट्स के घर से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेंट 2 लगायत 4 उपस्थित हुए जिनकी ओर एडवोकेट श्री ज्ञानेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पोडेंट नं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गयी । अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 5.12.2018 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में इस आशय का प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के दौ पुत्रवधुंए है जो कि रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 है और यह सभी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के साथ अकारण ही छोटी छोटी बातों पर लडाई झगडा एवं मारपीट करते है इस कारण अपीलान्ट द्वारा स्वअर्जित आय से बनाए गए कच्ची बस्ती बल्लभबाडी के मकान से उक्त चारों को बेदखल किया जावें । जिससे कि जीवन के इस पडाव पर अपीलान्ट्स शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें । रेस्पाडेन्ट्स सभी एकराय होकर अपीलान्ट्स को बिना वजह आये दिन क्लेश करते है ओर बिना वजह ही अपीलान्ट्स को गंदी–भद्दी गालियां देकर अपमानित और बेइज्जत करते रहते है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट्स ही उक्त बल्लभबाडी स्थित मकान के एकमात्र मालिक है जिन्हांने अपने जीवनकाल में कठोर परिश्रम से पाई पाई जोडकर उक्त मकान को निर्मित किया अपीलान्ट्स की आर्थक स्थिति को भी अधीनस्थ न्यायालय ने दरकिनार कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने थाना अधिकारी गुमानपुरा कोटा शहर से तलब की गयी जांच रिपोर्ट को ही निर्णय का मुख्य आधार बनाया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स ने थानाधिकारी से मिलकर सांठ–गांठ कर यह झूंठी रिपोर्ट अधीनसथ न्यायालय के समक्ष पेश की है । उक्त रिपोर्ट में कहीं भी अपीलान्ट्स से सम्बन्धित आस पडौस के कोई भी ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट्स द्वारा कभी रेस्पोडेन्ट को परेशान किया गया हो, जबकि यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स आदतन झगडा फसाद करने के आदी है और स्वयं ही अपने रिश्तेदारों को बुलाकर झगडा फसाद कर थाने पर स्वयं ही पहुंचकर अपीलान्ट्स के खिलाफ झूंठे एवं मनगढंत आरोप लगाते है । अतः अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट्स के घर से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स का पारिवारिक मामला एवं थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट रेस्पो0 को बेदखल कर मकान को बेचने सम्बन्धी वादकारण होने से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो सही है, अपीलान्ट आदतन शराबी एवं अय्याश किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन रेस्पोडेन्टगण से लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलोच करता है, तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण को मकान से बेदखल कर बेचना चाहता है । रेस्पोडेन्टगण परिवार व बाल बच्चे वाले है, यदि इस मकान से बेदखल कर दिया गया तो रहने को कोई अन्य ठिकाना नहीं है । अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्व दिनांक 17.03.2020 को पेश की गई है । उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्टगण द्वारा यह अपील भरण पोषण हेतु पेश नहीं की गई है, मात्र अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण को मकान से बेदखल करना चाहते है । अतः माता पिता एवं वृद्वजनों के लिए इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों एवं प्रचलित नियमों के तहत पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दिये गये प्रावधानों के तहत उभयपक्ष की सुनवाई कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय पारित करें । पक्षकारान अपनी उपस्थिति अधिनस्थ न्यायालय में 29.10.2021 को देवें।

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा